बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 29

पटना
दिनांक 6.6.2001

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- श्री बृज मोहन पाण्डेय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पकरीबरावाँ, नवादा के विरुद्ध पारित निलम्बन आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

महाशय,

श्री पाण्डेय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को समर्पित अभ्यावेदन की प्रति ।अनुलग्नकों के साथ। संलग्न करते हुए अनुरोध है कि

।1। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित पुनर्मतदान केन्द्रों की संख्या और प्रतिशत के तुलनात्मक विवरणी की अगर जाँच की जाय तो श्री पाण्डेय का दोष नगन्य माना जायेगा, अगर पुनर्मतदान ही इनके निलम्बन का कारण है तो। पुनर्मतदान के लिए दण्डाधिकारी, फोर्स एवं मतदान कर्मी अधिक जिम्मेवार होंगे न कि श्री पाण्डेय।

।2। मतगणना कार्य में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के संबंध में आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया कैम्प नवादा की अधिसूचना ज्ञापांक 07/कैम्प नवादा दिनांक 20-5-2001 के अनुसार श्री पाण्डेय से अधिक दोषी वे पदाधिकारी/कर्मचारी हैं जो इनके द्वारा बगैर विरमित किये हुए मतगणना केन्द्र छोड़कर चले गये। जिला से भेजे गये मतगणनाक कर्मी अगर समय पर मतगणना स्थल पर नहीं पहुँचे तो उसके लिए श्री पाण्डेय दोषी नहीं हो सकते हैं।

जिलाधिकारी, जहानाबाद एवं वरीय अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा के रहते मतगणना देर से प्रारम्भ हुआ, जिला से प्रतिनियुक्त मतगणना कर्मी

क्रमशः ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या........................

पटना
दिनांक..............................

मतगणना स्थल पर विलम्ब से पहुँचे और बगैर विरमित किए मतगणना केन्द्र छोड़कर चले गये, जैसा कि आयुक्त, मगध प्रमंडल ने अपने निलम्बन आदेश में ही लिखा है तो श्री पाण्डेय इसके लिए जिम्मेवार और दोषी कैसे हुए, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है । ऐसा लगता है कि श्री पाण्डेय को किसी निजी कारणों से दुर्भावना निलम्बित किया गया है इसलिए हम इसकी जाँच की माँग करते हैं । साथ ही साथ प्रमंडलीय आयुक्त को उप समाहर्त्ता को निलम्बित करने का अधिकार है भी या नहीं, वह भी बगैर स्पष्टीकरण के, जो नैसर्गिक न्याय का भी उल्लंघन है की भी जाँच कर ली जाय तो बेहतर होगा ।

अतः अनुरोध है कि उल्लिखित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री पाण्डेय का निलम्बन आदेश निर्गत की तिथि से रद्द किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
।जी0एल0 दास।
महासचिव ।

ह0/-
।डब्लू0 एन0 सिंह।
अध्यक्ष ।

ज्ञापांक– 29 /   दिनांक 6-6-2001

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिलाधिकारी, जहानाबाद/श्री बृज मोहन पाण्डेय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ।निलम्बित। मकदूमपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

6.6.2001

।जी0एल0 दास।
महासचिव ।

6/6/2001
।डब्लू0 एन0 सिंह।
अध्यक्ष ।